न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा जिला बुलन्दशहर।
सत्र वाद संख्या : 52/2025
सरकार बनाम सितारा आदि।

<u>दिनांक: 06.03.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण जिला कारागार से उपस्थित आये। साक्षी पी०डब्लू० 2 नाजिम गैर हाजिर। बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर साक्षीगण मुजाहिद अली व नाजिम का साक्ष्य का अवसर समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गई। अभियोजन द्वारा आपत्ति की गई।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

साक्षीगण पी०डब्लू० 1 मुजाहिद अली एवं पी०डब्लू० 2 नाजिम से जिरह हेतु पत्रावली नियत है, किन्तु उक्त दोनों साक्षी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। थाना खुर्जा देहात की ओर से समय 02:30 PM बजे प्रार्थना पत्र दिया गया कि साक्षी ने बताया कि वह न्यायालय ए.डी.जे.-2 बुलन्दशहर में बयान धारा 313 दं०प्र०सं० हेतु उपस्थित है। यह भी दर्शित होता है कि साक्षी पी०डब्लू० 1 मुजाहिद अली से भी पत्रावली में जिरह होनी है, जिसके द्वारा पूर्व तिथि को अपनी कैन्सर की बीमारी से संबंधित Radiotherapy के प्रपत्र भी दाखिल किये है, किन्तु आज उसके द्वारा कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। बचाव पक्ष की ओर से अवगत कराया गया कि गवाह मुजाहिद अली पूर्व तिथि को भी न्यायालय परिसर में अपने अधिवक्ता की सीट पर बैठा रहा। आज उक्त दोनों ही गवाह गैर हाजिर है। जबकि उक्त गवाहों को आज की तिथि की पूर्ण जानकारी है। अभियोजन द्वारा लंच पूर्व यह अवगत कराया गया कि साक्षी समय 02:00 PM बजे उपस्थित रहेगा, किन्तु लंच उपरांत उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। ऐसा दर्शित होता है कि उक्त साक्षीगण जानबूझकर साक्ष्य देने से बच रहे हैं और न्यायालय में नहीं आना चाहते हैं। अतः उपरोक्त साक्षीगण पी०डब्लू० 1 मुजाहिद अली एवं पी०डब्लू० 2 नाजिम के विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किया जाए। थाना प्रभारी खुर्जा देहात उक्त दोनों साक्षीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर व थाना प्रभारी खुर्जा देहात को प्रेषित की जाए।

बचाव पक्ष का प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दिनांक 11.03.2026 को जिरह पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 हेतु पेश हो।

दिनांक: 06.03.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2026.03.06 14:14:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court